न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 25 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
तीजोदेवी पुत्री भीखाराम उर्फ खेताराम पत्नी भागूराम उम्र 65 वर्ष जाति मेघवाल हाल निवासी 72 एन एल डी टिब्बा सुल्लताना मोहनगढ तहसील व जिला जैसलमेर(राज0)	1. श्रवणकुमार पुत्र किशनाराम उर्फ किशनलाल 2. काशीराम पुत्र किशनाराम उर्फ किशनलाल 3. ओमप्रकाश पुत्र किशनाराम उर्फ किशनलाल 4. जगदीश पुत्र किशनाराम उर्फ़ किशनलाल 5. लक्ष्मी पुत्री किशनाराम उर्फ किशनलाल जाति मेघवाल सर्वे निवासी 2 ए पी डी बी तहसील विजयनगर जिला गंगानगर(राज0) 6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भणियाणा जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 15 / 2021 (नये नं. 27 / 21) बअनवान श्रवणकुमार वगै बनाम तीजोदेवी वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी, श्री कपिल चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री विष्णु चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—13.06.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवलपुरा पटवार मण्डल माडवा तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर के खेत खसरा संख्या 42 / 749 रकबा 91 बीघा उतरदाता संख्या 01 से 05 ने अपीलांट के पिता भीखाराम के समय की भूमि होना बताया जिसमें भीखाराम के स्वर्गवास होने पर उसके पुत्र किशनाराम का 1 / 2 हिस्सा और अपीलांटा का 1 / 2 हिस्सा बताया गया। उक्त भूमि में उतरदाता संख्या 01 से 05 ने अपना जन्म से हक होना बताकर हस्तगत वाद पेश किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया। उक्त खसरों की भूमि में से रजिस्टर्ड बेचान के मार्फत किशनाराम व तीजोदेवी ने मिलकर 30 बीघा भूमि बेच दी और किशनाराम के हिस्से में शेष रही 30.10 बीघा भूमि किशनाराम ने अपनी सगी बहिन अपीलांट को हकतर्क कर दी। इस प्रकार शेष रही 61 बीघा भूमि की अपीलांट अकेली रिकॉर्डेड खातेदार बन गई। उपरोक्त खसरे की भूमि किशनाराम द्वारा दिनांक 20.05.2019 को रजिस्टर्ड हकर्तकनामे के मार्फत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित हकर्तकनामे को अवैध व शून्य घोषित करवाने हेतु भी इस्तदुआ चाही गई। हस्तगत वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांटस अनपढ, ग्रामीण, अनुसूचित जाति की महिला है। अपीलांटस अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित करना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस वाद मे कोई तनकी कायम नहीं की गई है यदि कोई तनकी कायम किया जाना जरूरी नहीं था और वादपत्र के अभिवचनों को विर्निदिष्ट रूप से इंकार नहीं किया गया हो तब भी वादीगण को अभिवचनों को साक्ष्य से साबित करना आवश्यक होता है। वाद के साथ दस्तावेज प्रस्तुत कर देने मात्र से साक्ष्य मे पढे जाने योग्य नहीं होते है बल्कि दौराने साक्ष्य अभिवचनों की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेजो पर वादी के बयानों में प्रदर्श मार्क अंकित किया जाना आवश्यक है। हस्तगत वाद में उपरोक्त विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन आराजी पर उतरदाता संख्या 01 से 05 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही कब्जा काश्त के संबंध में कोई गिरदावरी की नकल पेश की गई है और न ही लगान अदा करने की कोई रसीद

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ही पेश की गई है, इसके अतिरिक्त वारिस प्रमाण पत्र सरपंच द्वारा जारी करना बताया गया है जो कानून गलत व अवैध है क्योंकि ग्राम पंचात को उतराधिकार का प्रमाण पत्र जारी करने का क्षेत्राधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए वताया कि ग्राम देवलपुरा पटवार मण्डल माडवा तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर के खेत खसरा संख्या 42/749 रकबा 91 बीघा उतरदाता संख्या 01 से 05 ने अपीलांट के पिता भीखाराम के समय की भूमि होना बताया जिसमें भीखाराम के स्वर्गवास होने पर उसके पुत्र किशनाराम का 1/2 हिस्सा और अपीलांटा का 1/2 हिस्सा बताया गया। उक्त भूमि में उतरदाता संख्या 01 से 05 ने अपना जन्म से हक है। उक्त खसरों की भूमि में से रजिस्टर्ड बेचान के मार्फत किशनाराम व तीजोदेवी ने मिलकर 30 बीघा भूमि बेच दी और किशनाराम के हिस्से में शेष रही 30.10 बीघा भूमि किशनाराम ने अपनी सगी बहिन अपीलांट को हकतर्क कर दी। इस प्रकार शेष रही 61 बीघा भूमि की अपीलांट अकेली रिकॉर्डेड खातेदार बन गई। उपरोक्त खसरे की भूमि किशनाराम द्वारा दिनांक 20.05.2019 को रजिस्टर्ड हकर्तकनामे के मार्फत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित हकर्तकनामे उतरदातागण/वादी के हक हिस्से तक अवैध व शून्य है। उतरदातागण/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद में अपीलांटस कें नाम सम्मन भिजवाये गये उसके बावजूद अपीलांटस जानबुझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अपीलांटस अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित करना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलांटस को हस्तगत वाद में अपनी पैरवी करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनरथ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण का निस्तारण आनन–फानन में जल्दबाजी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 15/2021 (नये नं. 27/21) बअनवान श्रवणकुमार वगै बनाम तीजोदेवी वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2021 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर अपीलांटस का जबाव लेकर प्रकरण में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.08.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर